प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स 401/22 दिनांक 12/10/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 190 समय 6:00 pm
   (2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 11.10.2022 समय 02.26 पी.एम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 10.10.2022 समय करीब 12:30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 55 किलोमीटर
   (2) पता – कार्यालय ग्राम पंचायत गोरण त0 झाडोल फ0 जिला उदयपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   <u>परिवादी</u>

   (1) नाम : – श्री लोकेश पलात
   (2) पिता का नाम : –श्री हुकाराम जी
   (3) आयु : – 26
   (4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
   (6) व्यवसाय : – नौकरी
   (7) पता : –ग्राम गोरण पोस्ट बाघपुरा तहसील झाडोल (फ0) जिला उदयपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

1. श्री भेरूलाल पुत्र श्री वजेराम मेघवाल उम्र 48 वर्ष निवासी पुंजानगर, झाडोल फलासिया जिला उदयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोरण पंचायत समिति झाडोल फलासिया जिला उदयपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	40000 रूपये	

आरोपी श्री भेरूलाल पुत्र श्री वजेराम मेघवाल उम्र 48 वर्ष निवासी पुंजानगर, झाडोल फलासिया जिला उदयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोरण पंचायत समिति झाडोल फलासिया जिला उदयपुर द्वारा परिवादी श्री लोकेश पलात की पत्नी श्रीमती संगीता की फर्म जोहार बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स गोरण पो0 बाघपुरा तहसील झाडोल फ0 जिला उदयपुर द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्यो में सप्लाई किये गये मटेरियल के बिलो को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रासेसिंग करने की एवज में अवैध पारितोषण 60000 रूपयें की मांग कर 40000 रूपयें अवैध पारिपोषण के रूप में ग्रहण करना

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 40000
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 10.10.2022 को समय करीब 12:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उनके कक्ष बुलाकर कर उनके समक्ष बैठे एक व्यक्ति का परिवादी श्री लोकेश पलात पुत्र श्री हुकाराम निवासी ग्राम गोराण पोस्ट बाघपुरा त0 झाडोल (फ0) जिला उदयपुर के रूप में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी को अपने कक्ष में लेकर आया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा अंकित किया गया कि मैं अभी ग्राम पंचायत गोरण में सरपंच हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती संगीता के नाम फर्म जोहार बिल्डींग मेटेरियल सप्लायर्स की तरफ से ग्राम पंचायत गोरण में रेती एवं गिट्टी की सप्लाई की थी जिसका बिल लगभग 2 लाख रूपयें का भुगतान तथा पूर्व में किये गये कार्य खेल मैदान एवं खजुर घाटी से डागली बडका के बीच बनाये गये पुल पेटे सप्लाई की गई सामग्री के बिल 04 लाख रूपयें के कुल 6 लाख रूपयें के बिल को ऑनलाईन चढानें की एवज में 50000 रूपयें रिश्वत राशी की मांग की जा रही है। मैं भ्रष्ट ग्राम सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी सचिव भेरूलाल से कोई उधार राशी बाकि नहीं है और कोई दुश्मनी भी नहीं है। अतः कार्यवाही करनें की कृपा करें। परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में मजीद पुछताछ की तो उसके द्वारा शब्द-ब-शब्द सत्य होकर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया होने संबंधी ताईद की गई। जिस पर मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में वर्णित अपराध की परिधि में होना पाया जानें पर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशी मांग सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया। जिस पर परिवादी ने बताया कि आज भी उसका कॉल आया तथा वह मुझे बार-बार रिश्वत देने हेतु मुझे आज ही बुला रहा है। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री भारतसिंह कानि0 441 से कार्यालय की आलमारी में से सोनी कंपनी का डिजिटल वॉइस रिकार्डर बरंग काला मय रिक्त ममोरी कार्ड मंगवाया तथा परिवादी श्री लोकेश का श्री भारतसिंह कानि0 से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकोर्डर में वार्ता को रिकार्ड करनें तथा वॉयस रिकार्डर के संचालन की विधि समझाई गई तथा मांग सत्यापन वार्ता की रिकार्डिंग कर लाने हेतु श्री भारतसिंह को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री लोकेश के साथ झाडोल फलासिया की तरफ समय करीब 2:00 पीएम पर रवाना किया। तत्पश्चात समय करीब 04:35 पीएम पर श्री भारतसिंह कानि0 ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये टेलीफोन बताया कि *''आपके निर्देशानुसार रवाना होकर कस्बा झाडोल पहूँच परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर संदिग्ध ग्राम विकास अधिकारी से मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया जो कुछ समय बाद मेरे पास आया तथा बताया कि संदिग्ध ने परिवादी से 60000 रूपयें की रिश्वत राशी की मांग की जिस पर परिवादी द्वारा अनुरोध करने पर 40000 रूपयें रिश्वत राशी लेने हेतु सहमत हुआ है। मेरे द्वारा टेप चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई है।''* जिस पर कानि0 श्री भारतसिंह को डिजिटल वॉईस रिकार्डर को उसके पास सुरक्षित लेकर ब्यूरों कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई तथा श्री भारतसिंह को कहा कि वह परिवादी को रिश्वत राशी की व्यवस्था कर कल सुबह ब्यूरों कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पांबद करे तथा मामलें में गोपनीयता रखनें हेतु निर्देश दिया गया। तत्पश्चात कानि0 श्री दिनेश कुमार को सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु मय तहरीर के रवाना किया। जो अपने साथ स्वतंत्र गवाह श्री प्रभुलाल सुथार पुत्र श्री गणेशलाल जी सुथार उम्र 41 वर्ष निवासी गली नं0 02, सन्तोषनगर गारियावास जिला उदयपुर हाल सहायक अभियंता नगर विकास प्रन्यास उदयपुर मो0नं0 7073247311 तथा श्री मांगीलाल बुनकर पुत्र श्री शंकरलाल जी उम्र 51 वर्ष निवासी तुलसीनगर सेक्टर 05 उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक नगर विकास प्रन्यास उदयपुर मो0नं0 9602185252 के साथ कार्यालय में उपस्थित हुआ। जिन्हें अगले दिन दिनांक 11.10.2022 को समय प्रातः 09:00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर रूकसत किया गया। दिनांक 10.10.2022 को समय करीब 09:15 पीएम पर कानि0 श्री भारतसिंह मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ तथा डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता की पुष्टि होने तथा परिवादी को रिश्वत राशी की व्यवस्था कर कल

दिनांक 11.10.2022 की प्रातः 9:00 बजे उपस्थित होने हेतु पाबंद करना बताया। जिस पर श्री भारतसिंह द्वारा प्रस्तुत वॉईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी से संदिग्ध लोकसेवक द्वारा 60000 रूपयें की रिश्वत राशी मांग कर 40000 रूपयें रिश्वत लेने हेतु सहमत होने की पुष्टि हुई। वॉइस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक के पास कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 11.10.2022 को समय करीब 09:00 एएम पर स्वतंत्र गवाह श्री प्रभुलाल सुथार सहायक अभियंता तथा श्री मांगीलाल बुनकर वरिष्ठ सहायक नगर विकास प्रन्यास उदयपुर कार्यालय में उपस्थित हुए। तत्पश्चात समय करीब 09:10 एएम पर परिवादी श्री लोकेश पलात कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा बताया कि मैं रिश्वती राशी 40000 रूपयें की व्यवस्था कर लाया हूँ। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री प्रभुलाल सुथार सहायक अभियंता तथा श्री मांगीलाल बुनकर वरिष्ठ सहायक को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर सरकारी स्वंतत्र गवाह के रूप में सम्मिलित रहने हेतु सहमति चाही गई तो दोनों गवाह द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति दी गई। जिस पर परिवादी श्री लोकेश पलात का स्वतंत्र गवाहानों से आपस में परिचय करवाया गया तथा दिनांक 10.10.2022 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा शब्द-ब-शब्द सही होकर स्वंय की हस्तलिपि में लिखा होना सत्यापित किया जाने पर दोनों गवाह के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 10.10.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल वॉयस रिकार्डर चलाकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष परिवादी द्वारा वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड एक आवाज उसकी स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री भेरूलाल की होना बताया। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को चलाकर स्वंतत्र गवाह को सुनाई गई तो उनके द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की गई। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कम्पयूटर से कनेक्ट करवाकर कानि0 श्री दिनेश कुमार से मेरे निर्देशन में मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.10.2022 की फर्द टांसकिप्ट तैयार करवाई तथा वार्ता की एक मूल एवं एक मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति सीडी डब कराकर तैयार करवाई गई। फर्द टांसकिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये तथा मूल सीडी को कपडे की थेली में बंद कर मार्क ''ए'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद मोहर की गई। समय करीब 10:10 एएम पर स्वंतत्र गवाह श्री प्रभुलाल सुथार एवं श्री मांगीलाल बुनकर के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री लोकेश से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 2000-2000 रूपये के 20 नोट कुल 40000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

क.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	7CU 485915
2.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	6KT 830624
3.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	2FW 760742
4.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	7AD 432366
5.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	4MU 650204
6.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	9DQ 618740
7.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	0KM 351193
8.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	4DR 584010
9.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	1CL 403297
10.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	6AA 940630
11.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	8CG 598080
12.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	0BP 892322
13.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	3CC 435866
14.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	9HV 928079
15.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	9FA 496350
16.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	5LA 416864
17.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	1DK 519146
18.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	9BR 762741

20

19.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	4HK 988775
20.	2000 रूपये का एक नोट नंबर	8GR 620731

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी कानि0 श्री प्रदीप से मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 40000 रूपयें के नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री प्रदीप से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की बांयी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री प्रदीप से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये तथा फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को पुनः आलमारी में कानि0 प्रदीप से ही सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात श्री राजेश कुमार कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में कानि0 श्री प्रदीप की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी जैसे ही परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को कानि0 श्री राजेश कुमार से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलासो को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री भेरूलाल को उनकी मांग अनुसार 40000 रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कुमार से दुबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर पर कॉल करने का ईशारा निर्धारित किया जाकर परिवादी के मोबाईल में मन् पुलिस निरीक्षक के नंबर सेव करवाये गये। तत्पश्चात यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात श्री लोकेश को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सहित रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु डिजिटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की विधि पुनः समझाईस कर पेंट की आगे की दायीं जेब मे रखवाया जाकर सुपुर्द किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात कानि. श्री प्रदीप को ब्यूरों कार्यालय पर छोडा जाकर समय करीब 10:30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री प्रभुलाल सुथार, श्री मांगीलाल, श्री भारतसिंह मय प्रिन्टर लेपटॉप तथा कानि0 श्री राजेश कुमार मय ट्रेप बॉक्स, श्री नन्दकिशोर, श्री दिनेश कुमार एवं श्री लालसिंह है0का0 अन्य आवश्यक संसाधन के जरिये दो प्राईवेट टेक्सी वाहन के तथा परिवादी श्री लोकेश पलात मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर, जरिये निजी वाहन के कार्यालय एसीबी एसयू उदयपुर से कस्बा झाडोल फलासिया के लिए रवाना

20

होकर समय करीब 11:30 एएम पर झाडोल फलासिया पहुँचकर वाहनों को स्टेट हाईवे पर एक तरफ साईड में खडा कर समय करीब 11:35 एएम पर परिवादी श्री लोकेश के मोबाईल नंबर 9799545017 से आरोपी श्री भेरूलाल के मोबाईल नंबर 7073116828 पर कॉल करवाया जाकर लाउड मोड ऑन करवाया जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया तो आरोपी श्री भेरूलाल ने बताया कि मैं अभी बाहर हूँ आप रूपयें दुकान पर दे दो जो मेरे उधार के है। और बताया कि मैं फिल्ड में हूँ। बाद में आउंगा। चूंकि आरोपी द्वारा स्वयं रिश्वती राशी की मांग की जाने से किसी अन्य को देना युक्तियुक्त नहीं होने से आरोपी के फिल्ड से आने का इंतजार करनें का निर्णय लिया। उपर्युक्त नोट के प्रिन्ट करनें का उचित स्थान नहीं होने से गवाहानों एवं परिवादी के समक्ष लेपटोप में दर्ज किया गया तथा समुचित व्यवस्था होने पर उक्त नोट का प्रिन्ट लिया जाना सुनिश्चित किया गया। परिवादी श्री लोकेश की आरोपी श्री भेरूलाल से मोबाईल पर हुई वार्ता अनुसार आरोपी द्वारा फिल्ड में होना बताने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को गोपनीय रूप से आरोपी श्री भेरूलाल की अवस्थिति ज्ञात करनें हेतु कहा जिस पर परिवादी ने बताया कि श्री भेरूलाल ग्राम पंचायत गोरण पर जाने वाला है। समय करीब 1:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन ब्यूरों टीम, गवाहान एवं परिवादी के अपने-अपने वाहनों द्वारा कस्बा झाडोल से ग्राम पंचायत गोरण के लिए रवाना होकर समय करीब 2:00 पीएम पर कार्यालय ग्राम पंचायत से कुछ दुरी पर वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को पूर्व में दी गई हिदायत के अनुरूप कार्यालय ग्राम पंचायत गोरण पर रवानाकर कानि0 श्री भारतसिंह को परिवादी के पीछे-पीछे रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम उक्त कार्यालय से लगभग 50 मीटर की दुरी पर छुपाव हासिल कर परिवादी के निधारित इशारें के इन्तजार में खडे रहे थे कि समय करीब 02.:26 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश पलात ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि आरोपी द्वारा मुझसे 40000 रूपयें उसके पास प्लास्टिक के फोल्डर में रखवाये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वंतत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम परिवादी श्री लोकेश के पास ग्राम पंचायत गोरण कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुँचे जिस पर परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि अभी-अभी मुझसें श्री भेरूलाल जी ने अपनी मांग के अनुसार 40000 रूपयें रिश्वत राशी ग्रहण कर इनके प्लास्टिक फोल्डर में रखवाये है। जिस पर उक्त कार्यालय में लौहे के मुख्य द्वार से प्रवेश कर बायीं तरफ बने सरपंच कक्ष में प्रवेश किया तो सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को स्वयं एवं हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से परिचय पुछा तो अपना नाम श्री भेरूलाल पुत्र श्री वजेराम मेघवाल उम्र 48 वर्ष निवासी पुंजानगर, झाडोल फलासिया जिला उदयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोरण पंचायत समिति झाडोल फलासिया जिला उदयपुर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने आने के मंतव्य से अवगत कराया जाकर परिवादी श्री लोकेश से ग्रहण की गई रिश्वत राशि कहाँ रखी होना पुछने पर आरोपी श्री भेरूलाल मना करने लगा कि मैने कोई रिश्वत राशी नहीं ली है। जिस पर कक्ष के द्वार पर खडे परिवादी ने स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष बताया कि अभी-अभी श्री भेरूलाल जी ने मुझसे मेरी पत्नी की फर्म द्वारा सप्लाई की गई सामग्री के बिलों को ऑनलाईन चढानें की एवज में 40000 रूपयें इनके पास पडे प्लास्टिक के फोल्डर में रखी डायरी एवं रजिस्टर के बीच में रखवाये है। जिस पर पुनः तसल्ली देकर पुछा तो आरोपी श्री भेरूलाल सिर नीचे कर कहनें लगा की साहब गलती हो गई एक बार माफ कर दो आयन्दा गलती नहीं करूंगा। जिस पर आरोपी को रिश्वत राशी के बारें में पुनः पुछने पर बताया कि मैनें अभी-अभी लोकेश जी सरपंच साहब रिश्वत राशी 40000 रूपयें इनसे ही मेरे पास पडे प्लास्टिक के फोल्डर में पडे रजिस्टर एवं डायरी के बीच में रखवाये है। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री प्रभुलाल सुथार सहायक अभियंता से उक्त फोल्डर को खुलवाकर देखा तो उसमें रखे रजिस्टर एवं डायरी के बीच में 2000-2000 रूपयें के कुछ नोट रखे हुए पाये गये। जिन्हें प्लास्टिक के फोल्डर में रखे रजिस्टर एवं डायरी के मध्य उसी अवस्था में रहने दिया जाकर आरोपी द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशी की वास्तविक के प्रमाणन हेतु सरकारी वाहन से कानि0 श्री राजेश से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर उसमें से स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर से दो साफ कांच की गिलासों में आरोपी की टेबल पर रखी बोटल से पीने के साफ पानी को कांच के गिलासों में अलग-अलग भरवाकर स्वतंत्र

गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाई जाकर एक–एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री भेरूलाल के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमेला झांईदार हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच. –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अगूंठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग भी मटमेला झांईदार हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच. –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री भेरूलाल के पास मिले प्लास्टिक के फोल्डर की तलाशी स्वंतत्र गवाह श्री प्रभुलाल सुथार से लिवाई गई तो उसमें रखे रजिस्टर एवं डायरी के बीच 2000–2000 रूपयें के 20 नोट कुल 40000 रूपयें बरामद हुए जिन्हें आरोपी के टेबल पर एक तरफ साईड में रखवाया गया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के फोल्डर एवं उनके रखे रजिस्टर तथा डायरी का प्रक्रियानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री राजेश कुमार कानि0 से एक कांच के गिलास को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाया जाकर उसमें आरोपी श्री भेरूलाल की टेबल पर रखी पीने के साफ पानी की बोटल से उक्त गिलास में पानी भरवाया जाकर गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त पानी के घोल में एक कपडें की चिन्दी को भिगोया गया तब भी घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। भीगे हुए कपडे की चिन्दी को प्लास्टिक के फोल्डर में रखे कार्यालय ग्राम पंचायत गोरण पंचायत समिति झाडोल फला. जिला उदयपुर राज. कोरम बैठक वर्ष 2022–23 एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान की वर्ष 2020 अंकित डायरी के उपर तथा फोल्डर के अन्दर के भागो पर घुमाया जाकर पानी के गिलास में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एफ–1 व एफ –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फोल्डर में से प्राप्त बरामद रिश्वती राशी जिसे टेबल पर ही रहने दिया गया था। उक्त राशी को स्वतंत्र गवाह श्री प्रभुलाल सुथार से उठवाकर पुनः गिनवाया गया तो 2000–2000 रूपयें के 20 नोट कुल 40000 रूपयें बमराद हुए जिनका मिलान स्वतंत्र गवाहान श्री प्रभुलाल सुथार से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी नोट से करवाया गया तो उपस्थित के समक्ष फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो से मिलान करवाया गया तो हुबहू मिलान होना पाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री भेरूलाल से बरामद हुई रिश्वत राशि 40000 रूपयें को एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरों लिये गये। प्लास्टिक के फोल्डर में से प्राप्त रजिस्टर एवं डायरी के बाह्य गत्ते के पृष्ठ जहां से धोवन लिया गया उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरों लिये गये। इसके बाद आरोपी भेरूलाल से परिवादी के लंबित बिलों के संबंध में पुछा गया तो आरोपी श्री भेरूलाल ने बताया कि श्री लोकेश पलात ग्राम पंचायत गोरण में सरपंच है। जोहार बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स गोरण के प्रोपाईटर श्रीमती संगीता पत्नी श्री लोकेश पलात की फर्म के नाम वर्ष 2020–21 में ग्राम पंचायत गोरण में मटेरियल सप्लाई हेतु टेण्डर जारी हुआ था। वर्ष 2021–22 के बाद से अब तक सामग्री आपुर्ति हेतु टेण्डर जारी नहीं होने से पूर्व की टेण्डरशुदा फर्मो से सामग्री आपुर्ति को अनवरत किया था। इसी कम में ग्राम पंचायत में 1. डबल्यूएचएस मय रास्ता निर्माण कार्य गोरण तलाई से मेहरा बाबा गोरण, 2. डबल्यूएचएस मय रास्ता निर्माण कार्य डांगली बडका से खजूर घाटी जगन्नाथपुरा तथा 3. खैल मैदान विकास कार्य रा0उ0प्रा0वि0 गोरण के मैदान की बाउण्ड्री वाल के निर्माण कार्य में मटेरियल श्री लोकेश पलात की पत्नी श्रीमती संगीता की फर्म जोहार बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स द्वारा किया गया था। जिसके लगभग 553433 रूपयें का बिल श्री लोकेश पलात द्वारा प्रस्तुत किया था जिसे मेरे

द्वारा भुगतान हेतु पंचायत समिति झाडोल पर ऑफलाईन अग्रेषित किया था। जिसका इन्द्राज मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के लेटर पेड कमांक 182 दिनांक 05.09.2022 के कम संख्या 1,2 एवं 4 पर अंकित किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि परिवादी श्री लोकेश पलात की पत्नी श्रीमती संगीता की फर्म जोहार बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स द्वारा ग्राम पंचायत गोरण पर किये गये कार्य की एवज में आरोपी श्री भेरूलाल रिश्वत राशी प्राप्त करनें के पश्चात ही कार्य पेटे जारी बिलों की राशी स्वीकृत कराना चाहते थे। ग्राम पंचायत गोरण की लेटरपेड बुक का अवलोकन किया गया तो आरोपी द्वारा बताये गये तथ्यों का लेटरपेड में अंकितानुसार मिलान किया गया तो तथ्य हुबहु प्रमाणित पाये गये। लेटरपेड कमांक 182 दिनांक 05.09.2022 पर एक गोले में संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त ग्राम पंचायत का लेटरपेड कमांक 102 से 199 तक होकर 183 से 199 तक पूर्ण रिक्त है तथा बीच में कम संख्या 112,116, 139,140,170,171,173 रिक्त है। उक्त लेटरपेड का मामलें में आवश्यक साक्ष्य होने से कब्जे ब्यूरों लिया गया। तत्पश्चात आरोपी को दिनांक 11.10.2022 को समय करीब 11:35 एएम पर परिवादी से मोबाईल पर हुई वार्ता के संबंध में पुछा तो आरोपी भेरूलाल ने बताया कि मैंने मेरे रिश्तेदार श्री लक्ष्मण लाल पुत्र श्री भुरीलाल मेघवाल से रूपयें 50000 रूपयें उधार लिये थे जो मैं उसे वापस लौटाना चाहता था, इसलिए जब मेरी श्री लोकेश पलात से मोबाईल पर वार्ता हुई तो मैनें मेरी उधार राशी चुकता करनें के लिए श्री लोकेश पलात को 40000 रूपयें मेरे रिश्तेदार श्री लक्ष्मणलाल को उसकी दुकान पर जाकर देने हेतु कहा था। ग्राम पंचायत गोरण के मूल उपस्थिती पंजिका का अवलोकन किया गया तो आज दिनांक 11.10.2022 के निश्चित स्थान पर आरोपी श्री भेरूलाल के हस्ताक्षर होना पाया जाने से रजिस्टर के उक्त पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरों लिया जाकर जब्त किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 05:30 पी.एम. पर दिनांक 11.10.2022 को समय करीब 11:35 एएम पर परिवादी श्री लोकेश के मोबाईल नंबर 9799545017 एवं आरोपी श्री भेरूलाल के मोबाईल नंबर 7073116828 के मध्य हुई वार्ता जिसे ब्यूरों के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर आरोपी श्री भेरूलाल, परिवादी श्री लोकेश को स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष उक्त वार्ता सुनाई गई तो दोनों ने अपनी–अपनी आवाज की ताईद की जिस पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि0 श्री दिनेश कुमार से तैयार करवाई जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता को लेपटोप की सहायता से कानि0 श्री दिनेश कुमार से एक मूल, एक मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति सीडीयां डब करवाई जाकर मार्क बी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मूल सीडी को एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर थैली के उपर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मुल्जिम प्रति एवं आईओ प्रति डब सीडी को अनसील्ड रखा गया। तत्पश्चात समय 06:00 पी.एम. पर दिनांक 11.10.2022 को आरोपी श्री भेरूलाल एवं परिवादी श्री लोकेश के मध्य हुई वार्ता रूबरू हुई रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता जिसे ब्यूरों के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में परिवादी श्री लोकेश पलात द्वारा रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर आरोपी श्री भेरूलाल, परिवादी श्री लोकेश को स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष उक्त वार्ता सुनाई गई तो दोनों ने अपनी–अपनी आवाज की ताईद की जिस पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि0 श्री दिनेश कुमार से तैयार करवाई जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता को लेपटोप की सहायता से कानि0 श्री दिनेश कुमार से एक मूल, एक मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति सीडीयां डब करवाई जाकर मार्क 'सी' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मूल सीडी को एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क 'सी' अंकित कर थैली के उपर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मुल्जिम प्रति एवं आईओ प्रति डब सीडी को अनसील्ड रखा गया। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.10.2022 तथा दिनांक 11.10.2022 को हुई मोबाईल वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन–देन दिनांक 11.10.2022 की वार्ताओं की रिकार्डिंग हेतु प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB बरंग लाल एवं ग्रे को वजह सबूत कपडे की थेली में सीलबंद कर मार्क 'डी' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 06:45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी, आरोपियों एवं स्वंतत्र गवाहानों की मौजूदगी में फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से

मुर्तिब किया जाकर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07:20 पी.एम. पर आरोपी श्री भेरूलाल गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी श्री भेरूलाल के पुत्र श्री कार्तिक मेघवाल को जरिये मोबाईल दी गई। वक्त गिरफ्तारी आरोपी श्री भेरूलाल की शर्ट की स्वंतत्र गवाहान श्री प्रभुलाल सुथार से लिवाई गई जामा तलाशी में एक मोबाईल मिला जिसकी सेटिंग्स में जाकर अवलोकन किया गया तो उक्त मोबाईल विवो कंपनी का मॉडल 1938 बरंग ब्लेक एवं ग्रीन जिसमें प्रथम आईएमईआई नंबर 867940059195551 तथा दुसरा आईएमईआई नंबर 867940059195544 होकर दो सिम कार्ड प्रयुक्त है। जिसमें प्रथम सिम मोबाईल नंबर 9680848331 तथा दुसरी सिम मोबाईल नंबर 7073116828 होना पाया गया। उक्त मोबाईल से आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई वार्ता के कारण अहम साक्ष्य होने से मोबाईल को जब्त किया जाकर पृथक से फर्द जब्ती मुर्तिब की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री भेरूलाल को उसकी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण चाहने हेतु तहरीर दी गई तो मूल ही तहरीर पर आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नमूना नहीं देने तथा स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करने हेतु अंकित किया गया। पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 08:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री प्रभुलाल सुथार, श्री मांगीलाल, श्री भारतसिंह मय प्रिन्टर लेपटॉप तथा कानि0 श्री राजेश कुमार मय ट्रेप बॉक्स एवं जब्तशुदा सीलबंद मालखाना आर्टिकल्स, श्री नन्दकिशोर, श्री दिनेश कुमार एवं श्री लालसिंह है0का0 आवश्यक संसाधन के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भेरूलाल के कार्यालय ग्राम पंचायत गोरण पंचायत समिति झाडोल फ0 जिला उदयपुर से आरोपी के कस्बा झाडोल फलासिया के पुंजानगर स्थित मकान पर खाना तलाशी लेने हेतु रवाना हुआ तथा परिवादी श्री लोकेश पलात को रूकसत दी गई। आरोपी श्री भेरूलाल आरोपी झाडोल फलासिया के पुंजानगर स्थित मकान पर पहुँचकर आरोपी की निशांदेही से परिवादी श्री लोकेश पलात के कार्यो संबंधी पत्रावली 1. ग्राम पंचायत गोरण महानरेगा बाउचर फाईल वर्ष 2022–23 की पत्रावली पृष्ठ संख्या 1 से 20 तक छायाप्रति, 2. ग्राम पंचायत गोरण महानरेगा स्वीकृति फाईल वर्ष 2020–21, 2021–22 की पत्रावली पृष्ठ संख्या 1 से 10 तक छायाप्रति, एवं 3. ग्राम पंचायत गोरण खैल मैदान विकास कार्य रा0उ0प्रा0 विद्यालय गोरण योजना एसएफसीवाई/जीपी 7.14 505250+150000 = 655250 की पत्रावली पृष्ठ संख्या 1 से 12 तक मूल प्रति, कब्जे ब्यूरों ली जाकर प्रत्येक पत्रावली के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर गवाहानों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरों ली जाकर पृथक से फर्द जब्ती मुर्तिब की गई तथा आवास की खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय करीब 10:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री प्रभुलाल सुथार, श्री मांगीलाल, श्री भारतसिंह मय प्रिन्टर लेपटॉप तथा कानि0 श्री राजेश कुमार मय ट्रेप बॉक्स एवं जब्तशुदा सीलबंद मालखाना आर्टिकल्स, श्री नन्दकिशोर, श्री दिनेश कुमार एवं श्री लालसिंह है0का0 आवश्यक संसाधन के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भेरूलाल आरोपी झाडोल फलासिया के पुंजानगर स्थित मकान से रवाना होकर स्वास्थ्य परीक्षण करा आरोपी को हवालात में सुरक्षित रखने हेतु पुलिस थाना हाथीपोल पर सुपुर्द कर ब्यूरों कार्यालय उदयपुर पर दिनांक 12.10.2022 को समय करीब 12:20 एएम पर उपस्थित हुआ तथा स्वतंत्र गवाहों को रूकसत दी जाकर सीलबंद मालखाना आर्टिकल्स मालखाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार एएसआई को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु निर्देश दिया जाकर संबंधित रजिस्टर में ईन्द्राज करनें का निर्देशित किया गया। तत्पश्चात आरोपी को नियमानुसार माननीय सैशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्र0नि0 मामलात कमांक उदयपुर पर प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जेसी आदेशित किया जाने पर केन्द्रिय कारागार एवं सुधार गृह उदयपुर पर जमा करा रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार आरोपी श्री भेरूलाल पुत्र श्री वजेराम मेघवाल उम्र 48 वर्ष निवासी पुंजानगर, झाडोल फलासिया जिला उदयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोरण पंचायत समिति झाडोल फलासिया जिला उदयपुर द्वारा परिवादी श्री लोकेश पलात की पत्नी श्रीमती संगती की फर्म जोहार बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स गोरण पो0 बाघपुरा तहसील झाडोल फ0 जिला उदयपुर द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्यो में सप्लाई किये गये मटेरियल के बिलो को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रासेसिंग करने की एवज में अवैध पारितोषण 60000 रूपयें की मांग

कर 40000 रूपयें अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण करना प्रथम दृष्टया जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 मे प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री भेरूलाल पुत्र श्री वजेराम मेघवाल उम्र 48 वर्ष निवासी पुंजानगर, झाडोल फलासिया जिला उदयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोरण पंचायत समिति झाडोल फलासिया जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

भवदीय,

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भेरूलाल पुत्र श्री वजेराम मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोरण, पंचायत समिति झाडोल फलासिया, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 401/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3492-96 दिनांक 12.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.,उदयपुर।

12.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।